न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

रा.प्र.क्रं.– **0121/अ–20(3)/वर्ष 2024–25**
मौजा– मकरोनिया मुहाल प.ह.नं. 41
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

EMIL
MINES AND MINERAL RESOURCES LIMITED
PROJECT HEAD- SHATRUJIT KUMAR

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 24/12/2024)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक EMIL MINES AND MINERAL RESOURCES LIMITED, PROJECT HEAD- SHATRUJIT KUMAR द्वारा ग्राम **मकरोनिया मुहाल** तहसील व जिला सागर स्थित भूमि प.ह.नं. 41 **खसरा नंबर 1 रकवा 133.265 हे. में से 115.735 हे.** भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवंटन किये जाने बाबत आवेदन पत्र ऑनलाईन दस्तावेजो सहित प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी सागर (राजस्व) को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा तहसीलदार, सागर–ग्रामीण से जांच प्रतिवेदन लिया गया।

तहसीलदार, सागर–ग्रामीण द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया गया। ग्राम पंचायत गढ़पहरा मुहाल जनपद पंचायत सागर जिला सागर द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर उक्त भूमि आवंटन प्रकरण को निरस्त किया जाना लेख किया गया। हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन अनुसार ग्राम मकरोनिया मुहाल स्थित भूमि खसरा नंबर 01 रकवा 133.265 हेक्टेयर वर्तमान अभिलेख खसरा वर्ष 2024–25 अनुसार शासकीय चरोखर मद में दर्ज है, उक्त भूमि मौके पर रिक्त है व अतिक्रमण नही है। आवेदित भूमि के ऊपर हाईटेंशन लाइन, धार्मिक स्थान एवं कब्रिस्तान/श्मशान नही है। ग्राम के चरोखर का रकवा 208.95 हेक्टेयर है। 2% प्रतिशत के मान से चरनोई का रकवा सुरक्षित रखने पश्चात् चरनोई का रकवा 206.70 हेक्टेयर शेष रहेगा। मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/6–101/2019/सात–3 भोपाल दिनांक 05.01.2021 की कंडिका 05 में व्यय संबंधित निर्देश उल्लेखित है। उक्त भूमि का मूल्यांकन प्रतिवेदन वरिष्ठ जिला पंजीयक जिला सागर से कराया गया। प्रतिवेदन अनुसार मौजा मकरोनिया मुहाल पटवारी हल्का नंबर 41 तहसील सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 1 रकवा 133.265 हेक्टेयर में से रकवा 115.735 हेक्टेयर की कीमत कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार प्रति हेक्टेयर सिंचित 7,22,000/– के मान से आवेदित भूमि की कुल कीमत 8,35,60,670/– रूपये होती है जिसका 1.6 गुणा बराबर राशि 13,36,97,072/– रूपये होती है। मौजा मकरोनिया मुहाल पटवारी हल्का नंबर 41 तहसील सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 1 रकवा 133.265 हेक्टेयर में से रकवा 115.735 हेक्टेयर भूमि वनीकरण क्षतिपूर्ति हेतु वन विभाग को आवंटित की जाना है उक्त भूमि के आवंटन से ग्राम के आम निस्तार में कोई बाधा उत्पन्न नही होगा। अतः ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निराधार होने से निरस्त किया जाना उचित होगा प्रतिवेदित कर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी सागर को प्रेषित किया गया।

P.T.O.

रा.प्र.क्रं.– 0121/अ–20(3)/वर्ष 2024–25

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर द्वारा प्रारूप–2 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन अनुसार तहसीलदार सागर–ग्रामीण के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये मौजा मकरोनिया मुहाल पटवारी हल्का नंबर 41 तहसील सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 1 रकवा 133.265 हेक्टेयर में से रकवा 115.735 हेक्टेयर भूमि आवंटन हेतु उपयुक्त होने से आवंटन किया जाना उचित है प्रस्तावित कर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

जिला नजूल निर्वतन समिति की बैठक दिनांक 16.12.2024 को आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मौजा **मकरोनिया मुहाल** पटवारी हल्का नंबर **41** राजस्व निगम मण्डल सागर स्थित शासकीय भूमि **खसरा नंबर 01 रकवा 133.265 हेक्टेयर में से रकवा 115.735 हेक्टेयर** भूमि हस्तांतरण के संबंध में मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/6–101/2019/सात–3 भोपाल दिनांक 05.01.2021 के अनुक्रम में संस्था द्वारा 13,36,97,072/– रूपये (तेरह करोड़ छत्तीस लाख सन्तानवे हजार बहत्तर रूपये मात्र) शासन मद में जमा करने से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को हस्तांतरण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः तहसीलदार सागर–ग्रामीण/अनुविभागीय अधिकारी सागर, नजूल अधिकारी सागर के प्रस्ताव एवं जिला नजूल निर्वतन समिति के निर्णय के आधार पर निम्नानुसार भूमि :–

क्रं	ग्राम/तहसील का नाम	प.ह.नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.में)	हस्तांतरित रकवा (हे.में)	मद	विभाग का नाम
1	मकरोनिया मुहाल/सागर	41	01	133.265	115.735	शासकीय	वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
कुल योग–					115.735		

म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को हस्तांतरित की जाती है। उक्त भूमि के हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। हस्तांतरित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(संदीप जी.आर.)
कलेक्टर
जिला–सागर

पृ0क्रं0/ 11016 /री0कले0/2024 सागर दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपिः–

1. वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को सूचनार्थ।
2. नजूल अधिकारी सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वरिष्ठ जिला पंजीयक सागर, जिला सागर को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरूस्ती कराये जाने एवं हस्तांतरित भूमि का अधीपत्य दिलाये जाने तथा संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा अधीपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।

P.T.O.

रा.प्र.क्रं.– 0121/अ–20(3)/वर्ष 2024–25

5. अधीक्षक भू–अभिलेख जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार, सागर–ग्रामीण जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्राधिकृत अधिकारी, ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनिरल रिसोर्सेस लिमिटेड को सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला–सागर

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11155781791

ग्राम: मकरोनयि◌ा मुहाल			पटवारी हल्का: गढ़पहरा मुहाल			तहसील: सागर			जिला: सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1609053276 81S789DBLJHHH0	1/5 (S)		115.7350 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0121/अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 24/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | निस्तार पत्रक के अनु. चरोखर तिगड्डा 2 चादा 9 ना. दु. चीरा 12

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2025.03.03 15:06:31 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11155781791

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख	सी.एल.आर नं. : 11155782374	
	वर्ष: 2024-25	दिनांक: 03-03-2025 15:06:49

ब्लॉक सं.:	ग्राम:मकरोनयिा मुहाल	हल्का:गढ़पहरा मुहाल	तहसील: सागर	जिला:सागर

सर्वेक्षण सं.: 1/5(S)	क्षेत्रफल:115.7350(हेक्ट.)	भू.रा.शा:0

भूस्वामी: (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

मापांक 1:4000

0 50 100 150 200m

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2025.03.03 15:07:50 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Map Copy
CLR No. : 11155782374

(हस्ताक्षर)

This is an electronically generated and digitally signed extract of Land Records from the Official Land Records database of Government of Madhya Pradesh hosted at https://mpbhulekh.gov.in, and reflects the status of the entries as on the date mentioned in the signature box. This document represents a certified copy of the land records.